4464/07

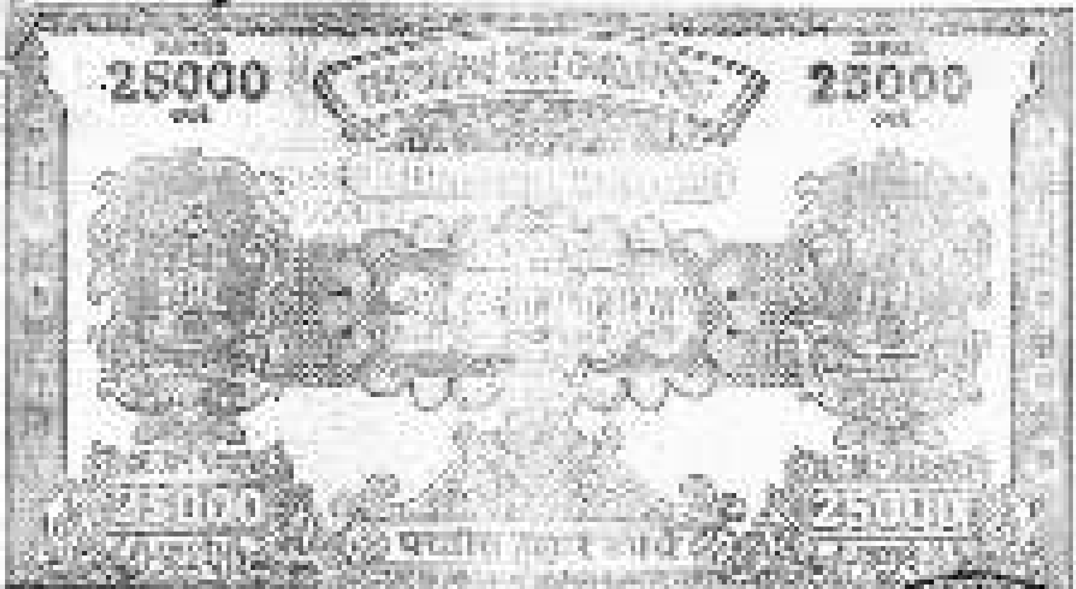

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 57

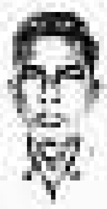

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	रु0 54,654 [illegible]/-
बाजार मूल्य	रु0 26,82,750/-
[illegible]	रु0 5,50,000/-

1. भूमि का प्रकार - भूमि
2. [illegible] - [illegible]
3. ग्राम - [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 794 [illegible]

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.295 हे0 का पूर्ण भाग, खसरा संख्या 240 रकबा 1.238 हे0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रेय

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

499552

रकबा 1.593 हे0 स्थित ग्राम-

जलालपुर, परगना, तहसील व जिला

लखनऊ।

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

5. मापन की इकाई – हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 1.533 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अन्सलहीन पर है

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397554

-5-

लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397555

10. बोरिंग / कूआं अन्य – कुछ भी नहीं है ।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 794</u>

उत्तर : आराजी नं0 805

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

197556

7

ब्लॉक : नक्षत्र

दुकान : कमल

फ्लैट : [illegible] पी-903

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

भारत प्रदेश UTTAR PRADESH 397537

<u>चौहद्दी खसरा नं० 749</u>

उत्तर : भाग नं० 750

दक्षिण : चकरोड

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397558

5

पूरब : खसरा नं0-749, 750

पश्चिम : खसरा नं0-746, 747

प्रथम पक्ष की संख्या 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 197554

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
रामलाल पुत्र धीर्मे निवासी ग्राम अहमलपुर पचपेड़ा,	कृष्णपाल पुत्र मैंगी निवासी ग्राम मिर्जापुर जिला जी० नौयडा.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397360

तहसील व जिला लखनऊ।	तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397561

4/ विक्रय लिखित [illegible] पुत्र [illegible] तिवारी ग्राम [illegible]

परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिसे आगे विक्रेता कहा गया है उक्त

[illegible] पुत्र श्री तिवारी ग्राम [illegible] तिवारी पोस्ट [illegible], लखीमपुर ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 75562

जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया

गया।

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397669

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 791 रकबा 0.295 है0 का पूर्ण भाग, खसरा संख्या 748 रकबा 1.238 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 1.533 है0 स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना, तहसील व

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त सम्पत्ति

फसलीवर्ष साल खतौनी खाता नं० 00303, 00273 ——— के अनुसार

भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता ने

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397566

नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता उनका

सम्पूर्ण हिस्सा पैदा की हुई ... बिक्री द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता

अभिलेख सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं ... समस्त

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000 25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

MAY 2007

में उक्त कृषि भूमि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने जो का

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

विक्रय के पूर्व कहीं बन्धक, दान, विक्रय या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऋण अथवा भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397568

विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा अन्य

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397569

भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या रुचि इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उल्लेखित सम्पत्ति के स्थानान्तरण हेतु विक्रय मूल्य रुपया [illegible]/- के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 451879

प्रतिफल जो जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता गणें स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 451872

उक्त क्रेता को अब उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बजई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 451873

करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 451874

हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकछत्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान अपने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

उसके वारिसान निष्पादनकर्ता इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादनकर्ता इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 951877

अगर सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले उस स्थिति मे विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 30 -

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा

अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

260007

TRY. LKO.

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता का कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया निकले तो

या भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के [illegible] ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 1.533 हेक्टेयर की मालियत रू0 26,82,750/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **5,50,000/-** स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रू0 50,00,000/- द्वारा चेक संख्या- 566995 दिनांकित 04.05.2007 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

विक्रय पत्र

[illegible] 2,683,000.00 5,000.00 40 5,040.00 2,000

[illegible]

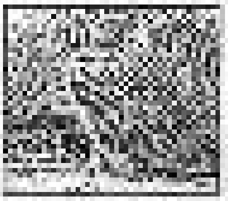

[illegible] पेशा कृषि

[illegible]

[illegible] दिनांक 5/3/2007 समय 1:02PM

[illegible]

ओ.पी. सिंह
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
5/3/2007

[illegible]

विक्रेता

[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

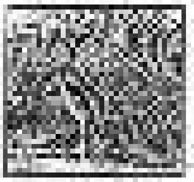

क्रेता

[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

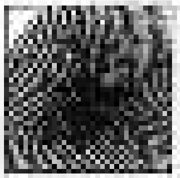

[illegible]

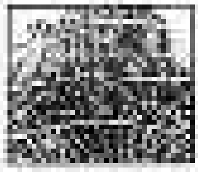

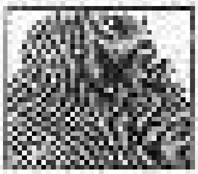

[illegible]
पेशा कृषि
[illegible]

[illegible]

ओ.पी. सिंह
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
5/3/2007

2. विक्रेता को रु0 4,90,439/- द्वारा चैक संख्या- 566996 दिनांकित 04.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, अमीनाबाद लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 54,90,439/- (रुपया चौवन लाख नब्बे हजार चार सौ उन्तालीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करती है।

नोट:- पृष्ठ संख्या 1 की सतर 2 में 54,90,439/- व सतर 4 में 5,50,000/- व पृष्ठ संख्या 20 की सतर 3 में 54,90,439/- पेन से लिखा हुआ है।

लखनऊ

दिनांक : 04.05.2007

गवाह क्रेता की पहचान की

1. दिनेश पाठक
S/o हरि शंकर पाठक
... लखनऊ

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की
शोभन लाल
S/o महावीर प्रसाद ...

टाईपकर्ता
(... कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No: [illegible] Year: 2007 Book No: 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

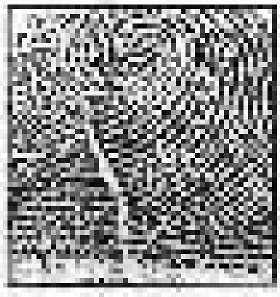

खसरा नं 794

रकबा 1.533 हे.

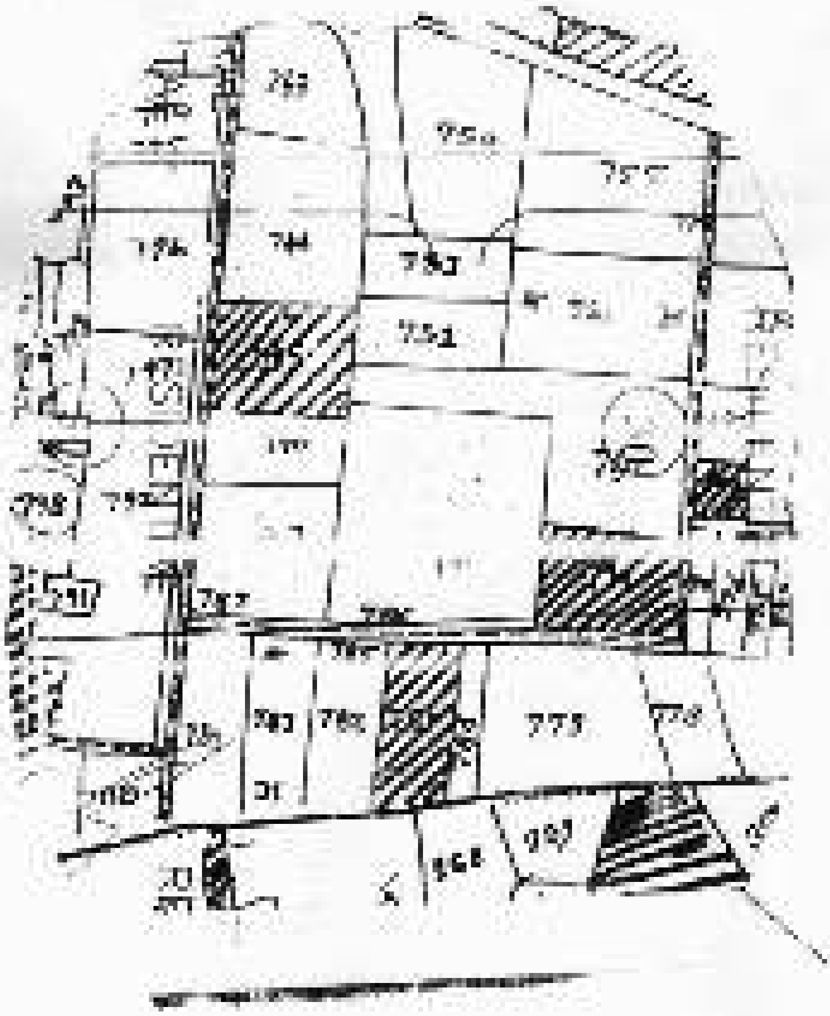

क्रेता

Registration No. 4464 Year : 2007 Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता- रामलाल पुत्र नोखे निवासी ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ ।
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- कृष्णपाल पुत्र मौनी निवासी ग्राम मिर्जापुर मिटारी पो0 नौबीन, तहसील
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर